न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–230/2020(जीसीएमएस नम्बर 2020/00361)

1. श्रीमती कौशल्या पत्नी रामखिलाड़ी,
2. श्रीमती चैनबाई पत्नी किशनलाल,
3. श्रीमती किन्नो पत्नी भोमसिंह, समस्त जाति मीना, निवासी सांथा हाल निवासी ठेकड़ा तहसील महुवा, जिला दौसा।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. चिम्मन पुत्र श्री नानगा,
2. रामकिशोर पुत्र नानगा, जाति मीना निवासी ठेकडा तहसील महुवा जिला दौसा
3. भम्बू पुत्र श्री बिहारी जाति दरोगा, निवासी रामगढ़ तहसील महुआ जिला दौसा।
4. राजेश पुत्र रामभरोसी,
5. दिनेश पुत्र रामभरोसी, जाति मीना निवासी ठेकडा तहसील महुवा जिला दौसा
6. भरतलाल पुत्र अमरपाल, जाति मीना निवासी ठेकडा तहसील महुवा जिला दौसा।
7. तहसीलदार महवा तहसील महवा जिला दौसा।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री अशोक कुमार जोशी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री सतीश कुमार पारीक एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक 30.01.2024

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 349 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 352 रकबा 1.40 हैटक्यर कुल किता 2 कुल रकबा 1.57 हैक्टयर वाके ग्राम ठेकडा तहसील महवा जिला दौसा में स्थित है जिसके समीप ही खसरा नम्बर 348 रकबा 0.06 हैक्टयर कृषि भूमि अपीलान्ट की खातेदारी की है। रेस्पोडेन्ट संख्या व 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 348 की भूमि को विवादित होना अभिकथित किया है एवं खसरा नम्बर 349 व 352 की पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.04.2016 को प्रस्तुत किया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या व 1 व 2 द्वारा एक वाद पत्र बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रस्तुत किया हुआ है

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

जिसमें प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में उप जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 15.04.2015 को खसरा नम्बर 349 व 352 की मौके पर पैमाईश कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने का आदेश पारित किया गया है जिस पर दिनांक 13.05.2015 को खसरा नम्बर 349 व 352 का सीमाज्ञान तहसीलदार महवा द्वारा करवाया गया। सीमाज्ञान की कोई सूचना अपीलार्थीगण को नही दी गयी एवं राजस्व कर्मियों से साज कर खसरा नम्बर 351 व 352 को पोईन्ट मानकर व पैमाईश कर पत्थरगढ़ी की जिस राजस्व नक्शे में दर्शित खसरा नम्बर 348 की भूमि शामिल करना चाहते है जिस पर अपीलार्थीगण के कोई हस्ताक्षर नही है एवं ना ही उक्त पत्थरगढ़ी की अपीलार्थीगण को कोई जानकारी रही है एवं जो पत्थरगढ़ी की गई है वह राजस्व नक्शे की अनदेखी कर की गई है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा पुनः दिनांक 18.04.2016 को उप जिला कलक्टर महवा जिला दौसा के समक्ष धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 349 व 352 कुल किता 2 कुल रकबा 1.57 हैक्टयर ग्राम ठैकडा तहसील महवा जिला दौसा की पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलार्थीगण द्वारा भी दिनांक 17.06.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 348 की भी पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु आवेदन किया। चूँकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा खसरा नम्बर 348 की भूमि को भी विवादित होना अभिकथित किया गया था तथा अपीलार्थीगण ने संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 348 की पत्थरगढ़ी खसरा नम्बर 349 व 352 के साथ ही करवाये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को नजर अन्दाज कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने से इन्कार कर दिया एवं दिनांक 27.06.2016 को स्वयं का निर्णय पारित किया एवं तहसीलदार महवा को पुलिस बल की आवश्यकता होने पर पुलिस बल उपलब्ध करवाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश पारित किया तथा स्वयं के आदेश में कही भी यह अभिकथित नही किया कि पत्थरगढ़ी राजस्व नक्शे अनुसार करवायी जावें। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का दुरूपयोग कर अपीलार्थीगण के खसरा नम्बर 348 पर अवैध रूप से कब्जा कर लेना चाहते है जिसका कि कानूनन उन्हे कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 348 रकबा 0.06 हैक्टयर का दिनांक 22.05.2001 को सहखातेदारान के मध्य हुये आपसी बंटवारे में खातेदार भम्बू पुत्र बिहारी (रेस्पोडेन्ट संख्या 3) के खातेदारी व कब्जे काश्त में आयी थी जिसको रेस्पाडेन्ट संख्या 3 द्वारा दिनांक 22.08.2012 को अपीलार्थीण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय किया जाकर कब्जा संभलवाया गया है एवं अपीलार्थीगण उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। रेस्पोडेन्टस द्वारा राजस्व कर्मियों से साजकर अधीनस्थ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
दौसा

न्यायालय के आदेश के आधार पर राजस्व नक्शे के विपरित अपीलार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विधान एवं कानून प्रावधानों की अनदेखी कर पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2016 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 आराजी खसरा नम्बर 349 रकबा 0.17 हैक्टयर व खसरा नम्बर 352 रकबा 1.40 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.57 हैक्टयर वाके ग्राम ठेकडा तहसील महवा जिला दौसा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा उक्त दोनों खसरा नम्बर 349 352 के अलावा अन्य खसरा नम्बर 348 भी विवादित है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का हिस्सा है लेकिन आराजी खसरा नम्बर 349 व 352 की राजस्व टीम द्वारा दिनांक 23.05.2015 को पैमाईश की थी जो कि खसरा नम्बर 351 व 352 गैर मुमकिन चाह को मुस्तकिल पाईन्ट मानकर की थी जिससे सभी पक्षकारान पूर्णतया संतुष्ट थे तथा पक्षकारान की उपस्थिति में ही उक्त खसरा नम्बर की पैमाईश के उपरान्त सीमा चिन्ह भी निर्धारित किये गये थे। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रत्येक खातेदार काश्तकारान को कानूनन अपनी आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने के अधिकार प्रदत्त है और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपने उन्ही अधिकारों के अनुसरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर व सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.6.2016 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर है कि आराजी खसरा नम्बर 349 व 352 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी की कब्जे काश्त की भूमि है जिसका दिनांक 13.05.2015 को मौके पर पेमाईश की गई जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थीगण को कोई आपत्ति नही है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ही प्रकरण काक गुणावगुण पर परीक्षण करने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की आराजी की पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थीगण को उज्रात करने के कानूनन अधिकार नही है। अपीलार्थी की आराजी खसरा नम्बर 348 है जिसकी पैमाईश व पत्थरगढी हेतु रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नही है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में यदि अपीलार्थीगण अपनी आराजी की पैमाईश कराना चाहते है तो इसके लिये पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अंकन किया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2016 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

P.T.O.

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2016 को यथावत रखा जाता है तथा अपीलार्थीगण यदि चाहे तो अपनी आराजी खसरा नम्बर 348 की पैमाईश व पत्थरगढी करवाने हेतु स्वतंत्र है।

(असलम शेर खान)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/1/24
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।